पंचायती राज महासंघ पंचायत प्रतिनिधियों का एक संयुक्त मंच हैं, जो प्रद. श में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त, सक्रिय, जवाब. देह एवं पारदर्शी बनाने के लिये प्रयासरत् है। वर्तमान में 25 जिलों के 40 ब्लाकों में लगभग 5000 निर्वाचित जन–प्रतिनिधि पंचायती राज महासंघ की सदस्यता ग्रहण कर कार्यरत् है।

पंचम्

पंचायती राज महासंघ का समाचार–पत्र

हर माह की 15 तारीख को प्रकाशित

हमारा ई-मेल : panchamreport@gmail.com

डाक पंजीयन –
म.प्र. भोपाल/
4–124/2017–19

प्रति,

हर माह की 15 तारीख को
प्रकाशित
RNI MP 2007/20746

वर्ष : 13 अंक : 08 | भोपाल, 15 अगस्त 2019 | RNI MP 2007/20746 | पृष्ठ : 8 | मूल्य 5 रूपए

सचेत प्रयासों से स्वीकृत हुई 130 हितग्राहियों की पेंशन

अन्य योजनाओं तक भी लोगों की पहुंच कायम की जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के 250 में से 159 आवेदन स्वीकृत हुए हैं

पुनीत सोनी द्वारा

बड़वानी। जिले के राजपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में संचालित सचेत परियोजना के अंतर्गत समर्थन द्वारा स्वशासन को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। संस्था द्वारा विभिन्न जनकेन्द्रित प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों के माध्यम से पंचायत के कामों में ग्रामवासियों की सहभागिता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद एवं पात्र लोगों की पहुंच कायम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 जुलाई को पलसूद संकुल की ग्राम पंचायत निहाली में पेंशन के बारे में चौपाल बैठक लगाकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में लोगों ने बताया कि पहले ग्राम पंचायत में 141 लोगों को पेंशन मिलती थी, जून माह से 271 लोगों को पेंशन मिलने लगी है। इस तरह 130 नए पेंशन प्रकरण स्वीकृत हुए। आने वाले महीनों में और भी नए पेंशन प्रकरण स्वीकृत करवाए जाएंगे। जो आवेदन प्राप्त हो चुके हैं उनकी ऑनलाइन एंट्री करवाने की प्रक्रिया जारी है। उल्लेखनीय है कि 6 जून की ग्रामसभा में समर्थन संस्था के सीनियर

प्रोग्राम मैनेजर श्री पंकज पांडे द्वारा पेंशन शिविर आयोजित कर पेंशन की समस्याओं को दूर करने व नए आवेदनों को प्राप्त कर उनकी एंट्री करवाई गई थी और इस हेतु अभियान संचालित किया गया था। उसी तारतम्य में ग्राम पंचायत के साथ मिलकर टीम द्वारा लगातार पेंशन के फार्म भरे जा रहे हैं और दस्तावेजों की कमी व खामियों को दूर किया जा रहा है। पंचायत टीम ने 3 माह में 400 का लक्ष्य लिया था जो जल्द पूरा होगा। जुलाई माह में भी 50 लोगों को पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जाएगी ।

इसके साथ ही अन्य योजनाओं तक भी लोगों की पहुंच कायम की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 159 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। जिले में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत पात्र 20 आवेदनों के नामों का ग्रामसभा में वाचन कर स्वीकृति ली जा चुकी है। बैठक के दौरान कई पेंशन हितग्राहियो के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। उनकी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन चेक करके बताई गई।

एक छत के नीचे मिलने लगी हैं विभिन्न विभागों की सेवाएं

अभ्युदय दल की बैठकों में होने लगी जनसुनवाई

पन्ना। कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा जिले में अभ्युदय योजना शुरू की गई है। इस योजना से ग्रामीण अंचलों में सेवा देने वाले विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मंगलवार अथवा शुक्रवार को ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य किसी शासकीय भवन में बैठक आयोजित करते हैं। बैठक में गांव के लोगों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है।

इस जनसुनवाई में ग्राम पंचायत स्तर से निराकृत होने वाली समस्याओं को कर्मचारी विभागीय समन्वय बनाकर मौके पर ही समाधान कर देते हैं। यदि समस्या जनपद या जिला स्तर की होती है तो अभ्युदय दल के नोडल अधिकारी द्वारा उस आवेदन को अपनी टीप के साथ जनपद स्तरीय अभ्युदय दल को भेज देते हैं। जनपद स्तरीय दल द्वारा आवेदन का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। यदि जनपद स्तर पर आवेदन का निराकरण संभव होता है तो उसी दिन आवेदन का निराकरण कर वाट्सएप के माध्यम से ग्राम स्तरीय दल के नोडल अधिकारी को निराकरण संबंधी जानकारी भेज दी जाती है । यदि आवेदन का समाधान जिला स्तर से होना होता है तो आवेदन को उसी दिन वाट्सएप के माध्यम से संबंधित विभाग एवं अभ्युदय दल के जिला नोडल अधिकारी को भेज दी जाती है।

अभ्युदय योजना के नवाचार से ग्रामीणों को जनपद मुख्यालय अथवा जिला मुख्यालय तक आने की जरूरत नहीं है। अब वह अपने आवेदन ग्राम स्तर पर होने वाली अभ्युदय दल की बैठक में देगा, वहीं उसके आवेदन का निराकरण किया जाएगा। (शेष पेज 7 पर)

ग्राम पंचायत अभ्युदय दल

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव को अभ्युदय दल का संयोजक नियुक्त किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर इस दल के सदस्य होंगे – ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक, प्रधानाध्यापक, जन शिक्षक, आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं के सहायक अध्यापक, छात्रावास अधीक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एएनएम, आजीविका मिशन के एसएचजी मोबिलाईजर, आगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका, आशा कार्यकर्ता, राशन दुकान के सेल्स मेन तथा कृषक मित्र या कृषक सखी।

देखपरख सैनिक की मदद से पूरा हुआ कूप निर्माण

पन्ना। कपिलधारा कुए और निर्माण संबंधी अन्य योजनाएं कई बार पूरी नहीं हो पाती और एक किष्त मिलने के बाद अगली किश्त या तो बहुत देर से मिलती है या मिलती ही नहीं है। इस दशा में काम अधूरा छूट जाता है। इसका खामियाजा हितग्राही को उठाना पड़ता है। किन्तु ऑनलाईन पोर्टल की मदद से इस तरह की समस्याएं हल की जा सकती है।

पन्ना जिले की ग्राम पंचायत बराछ के वीरेन्द्र कुमार के साथ भी यही हुआ। वर्ष 2015 में उनका कपिलधारा कुआ स्वीकृत हुआ। स्वीकृति के बाद उन्होंने कुए की खुदाई का काम शुरू किया। करीब 8 या 10 फिट खुदाई के बाद ग्राम पंचायत द्वारा काम बंद करवा दिया गया। हितग्राही द्वारा काम बंद करने का कारण पूछने पर कहा गया कि पंचायत इस काम को जल्दी ही फिर से शूरू करेगी। किन्तु दो सालों तक काम शुरू नहीं हुआ।

दो साल बाद यानी सन् 2017 में सरपंच ने हितग्राही को मजदूर लगाकर फिर से काम शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि जो मजदूर काम करेंगे, उनके नाम मस्टर में दर्ज कर उन्हें मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। सरपंच के कहने पर हितग्राही वीरेन्द्र के कुए पर 4 सप्ताह तक 13 मजदूरों ने काम किया। किन्तु उन्हें 2 सप्ताह की ही मजदूरी का भुगतान किया गया। पूरा भुगतान नहीं मिलने से मजदूरों ने काम पर आना बंद कर दिया। मजदूरों ने अपने बाकी दो सप्ताह की मजदूरी भुगतान का दबाव हितग्राही पर बनाया।

अत: विवष होकर हितग्राही को खुद मजदूरी का भुगतान करना पड़ा।

इसी दौरान ''देख-परख सैनिक'' ग्राम बराछ में अध्ययन करने गये तो हितग्राही द्वारा उन्हें पूरी स्थिति बताई गई। देख-परख सैनिक की सलाह पर हितग्राही ने सबसे पहले सीएम हैल्पलाईन पर षिकायत दर्ज करवाई। षिकायत पंजीयन के बाद जनपद से अधिकारियो के दबाव में सरपंच द्वारा पिछला शेष भुगतान करवाने एवं कार्य चालू करावाने का कहा गया । कुए की गहराई 15 फीट होने पर उसे पक्की बंधाई काम शुरू करवाया गया। किन्तु 3 फीट बंधाई करवाने के बाद काम बंद करवा दिया गया। इस दषा में हितग्राही ने फिर से देख-परख सैनिक से सम्पर्क कर इसकी जानकारी दी।

देख-परख सैनिक की सलाह पर हितग्राही ने 4 जून 2019 को जिला कलेक्टर को आवेदन भेजा। इस आवेदन के बाद जनपद पंचायत के सब इंजीनियर ने काम फिर से शुरू करवाया और कुए के लिए जरूरी सामग्री की पूर्ति की जिम्मेदारी सरपंच को दी गई। इस तरह कुए का काम शुरू हुआ और तमाम प्रयत्नों एवं संघर्षों के बाद आज इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। देखपरख सैनिक की सलाह से आवेदन और षिकायत की सही प्रक्रिया अपनाने से यह समस्या हल हो पाई।

जानकारी

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

निराश्रित वृद्ध, विधवा व परित्यक्त महिलाएं, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जीवन निर्वाह के लिये आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिये सामाजिक न्याय विभाग मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन पेंशन योजनाओं की पात्रता, मिलने वाला लाभ एवं आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी यहां दी जा रही है।

पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान

1	**पेंशन बंद हो जाने पर क्या करें ?**	1. ग्राम पंचायत सचिव को सूचना दें और कारण जानें। 2. यदि बैंक खाते से आधार नं. लिंक न हो तो बैंक में आधार कार्ड की फोटोकॉपी देकर लिंक करायें। 3. समग्र आईडी में आधार नं. एवं मोवाइल नं. जुड़वायें। 4. बैंक खाते से समय–समय लेनदेन करते रहें, लम्बे समय तक लेनदेन न करने पर खाते को निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिसे शुरू करवाने के लिये पुनः दस्तावेज जमा करना पड़ता है। 5. एम–पेंशन मित्र एप्प जो कि खास कर मोबाइल के लिये बनाया गया है, लाभार्थी का सदस्य समग्र आई.डी. नं. डालकर पेंशन विवरण देख सकते हैं। 6. यदि कहीं से कोई समाधान न हो तो जनसुनवाई/उत्तरा ऑनलाइन पोर्टल/सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करायें।
2	**पेशन बंद होने से कैसे बचे**	1. बैंक खाते से नियमित लेनदेन करते रहें। 2. बैंक खाते के साथ आधार/समग्र आईडी/मोवाइल नं. जुड़वायें। 3. पेंशन बंद होने की स्थिति में तुरंन्त सचिव/रोजगार सहायक को सूचना दें।
3	**कियोस्क में फिंगर प्रिंट न आये तो**	1. बैंक खाते से आधार नं. जुड़वायें ताकि अंगूठे का प्रिंट न आने पर अंगुली के निशान से खाता संचालित किया जा सके। 2. कियोस्क से पैसा नहीं निकल रहा हों तो जिस बैंक का क्योस्क है, उसी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर पैसे निकाल सकते हैं। 3. नजदीकी पोस्ट आफिस, जहां पर कोर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो खाता खुलवायें। 4. कियोस्क के माध्यम से पैसे के हर लेनदेन के समय पर्ची अवश्य प्राप्त करें। 5. कियोस्क पर रजिस्टर में हस्ताक्षर करते समय पैसे का मिलान अवश्य करें।
4	**एम–पेशन मित्र एप्प का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें (यह एप्प गूगल प्ले स्टोर से किसी भी स्मार्ट फोन में डाउनलोड किया जा सकता है)**	1. एम–पेंशन मित्र एप्प के माध्यम से पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2. पेंशन हेतु किये गए आवेदन की स्थिति एवं स्वीकृति आदेश को घर बैठे देख सकते हैं। 3. पेंशन हेतु पात्रता जान सकते हैं एवं समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश को देख सकते हैं। 4. बैंक खाते में पेंशन राशि आई है अथवा नहीं, एम–पेंशन एप्प से जानकारी लेने के बाद ही कियोस्क या बैंक जायें। 5. अधिक से अधिक युवा वर्ग गांव स्तर इस एप्प के माध्यम से पेंशन लाभार्थियों को सहयोग कर सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

यह पेंशन 6 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाती है, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो। इस पेंशन के लिए दिव्यांग व्यक्ति का नाम बीपीएल सूची में होना जरूरी नहीं। मध्यप्रद. श शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा 6 अक्टूबर को जारी आदेश क्र. एफ 3–8/2018/26–2 के अनुसार इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए बीपीएल की कोई पात्रता नहीं है। इस पेंशन के अंतर्गत हितग्राही के खाते में हर महीने 600 रूपए पेंशन जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- पासबुक की छाया प्रति।
- 9 अंको का समग्र आई.डी.नंबर।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।

सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना

यह पेंशन 60 वर्ष से अधिक उम्र के निराश्रित वृद्ध व्यक्ति को दी जाती है। इसके लिए व्यक्ति या उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में होना जरूरी नही है। इस पेंशन के अंतर्गत हितग्राही के खाते में हर महीने 600 रूपए पेंशन जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- 9 अंकों का समग्र आई.डी.नंबर।
- पासबुक की फोटोकॉपी।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।

सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना

यह पेंशन 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु की ऐसी परित्यक्ता महिला को दी जाती है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो। इसके अंतर्गत हितग्राही को हर महीने 600 रूपए पेंशन दी जाती है। यह पेंशन हितग्राही के खाते में जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- 9 अंकों का समग्र आई.डी.नंबर।
- पासबुक की फोटोकॉपी।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- अन्य कोई पेशन नहीं मिलने और आयकर दाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि

यह पेंशन 6 से 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग को दी जाती है। दिव्यांग की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। इसके लिए हितग्राही या उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में होना जरूरी है। इसके अंतर्गत हितग्राही को हर महीने 600 रूपए पेंशन दी जाती है। यह पेंशन हितग्राही के खाते में जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- 9 अंकों का समग्र आई.डी.नंबर।
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की छाया प्रति।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- अन्य कोई पेंशन नहीं मिलने और परिवार के आयकर दाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना

यह पेंशन 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा महिला को दी जाती है। महिला शासकीय कर्मचारी या अधिकारी न हो। महिला या उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में होना जरूरी नहीं है। यानी इसमें बीपीएल की कोई शर्त नहीं है। इसके अंतर्गत हितग्राही को हर महीने 600 रूपए पेंशन दी जाती है। यह पेंशन हितग्राही के खाते में जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- पासबुक की फोटोकापी।
- 9 अंकों का समग्र आई.डी.नंबर।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- अन्य कोई पेंशन नहीं मिलने और आयकर दाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

इस पेंशन हेतु आवेदिका की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है तथा वह आयकर दाता न हो और न ही महिला शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हो। महिला अशासकीय कार्यालय में भी कार्यरत नहीं होना चाहिए तथा उसे पहले से कोई पेंशन नहीं मिल रही हो। इसके अंतर्गत हितग्राही को हर महीने 600 रूपए पेंशन दी जाती है। यह पेंशन हितग्राही के खाते में जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- ग्राम पंचायत द्वारा जारी अविवा. हित प्रमाण पत्र।
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- 9 अंकों का समग्र आई.डी.नंबर।
- पासबुक की फोटोकापी।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- अन्य कोई पेंशन नहीं मिलने और आयकर दाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा हितग्राही या उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में होना जरूरी है। इसके अंतर्गत हितग्राही को हर महीने 600 रूपए पेंशन दी जाती है। यह पेंशन हितग्राही के खाते में जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बी.पी.एल. कार्ड की फोटोकापी।
- पासबुक की फोटोकापी।
- 9 अंकों का समग्र आई.डी.नंबर।
- 2 पोसपोर्ट साइज फोटो।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

यह पेंशन उन विधवा महिलाओं का दी जाती है जिनकी उम्र 40 से 79 वर्ष के बीच हो तथा उनका या उनके परिवार का नाम बीपीएल सूची में हो। इसके अंतर्गत हितग्राही को हर महीने 600 रूपए पेंशन दी जाती है। यह पेंशन हितग्राही के खाते में जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बी.पी.एल. कार्ड की फोटोकापी।
- पासबुक की फोटोकापी।
- 9 अंकों का समग्र आई.डी.नंबर।
- 2 पोसपोर्ट साइज फोटो।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन

यह पेंशन ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाती है, जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत से अधिक हो तथा उनका या उनके परिवार का नाम बीपीएल सूची में हो। इसके अंतर्गत हितग्राही को हर महीने 600 रूपए पेंशन दी जाती है। यह पेंशन हितग्राही के खाते में जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बी.पी.एल. कार्ड की फोटोकापी।
- पासबुक की फोटोकापी।
- 9 अंकों का समग्र आई.डी.नंबर।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।

बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को आर्थिक सहायता

इस पेंशन के लिए आवेदक की आयु 6 वर्ष से अधिक हो तथा वह बहु. विकलांग या मानसिक रूप से अविकसित या प्रमस्तिष्कघात हो या स्वपरायणता से ग्रस्त हो, जो मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो। इसके अंतर्गत हितग्राही को हर महीने 600 रूपए पेंशन दी जाती है। यह पेंशन हितग्राही के खाते में जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बी.पी.एल. कार्ड की फोटोकापी।
- पासबुक की फोटोकापी।
- 9 अंकों का समग्र आई.डी.नंबर।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

जिन दम्पत्ति की केवल पुत्री हो उन्हें यह पेंशन दी जाती है। इसमें आवेदक आयकर दाता न हो तथा हितग्राही दम्पत्ति में से किसी एक की आयु कम से कम 60 वर्ष हो। इसके अंतर्गत हितग्राही को हर महीने 600 रूपए पेंशन दी जाती है। यह पेंशन हितग्राही के खाते में जमा की जाती है।

इस पेंशन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है–

- आयु संबंधी प्रमाण पत्र।
- संतान के रूप में केवल पुत्री होने का पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की छाया प्रति।
- आधार कार्ड।
- 9 अंकों का समग्र आई.डी.नंबर।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।

बदलाव की बयार

हमारे आसपास सिर्फ समस्याएं ही नहीं है, बल्कि उसके समाधान के सफल प्रयास भी मौजूद हैं। इन प्रयासों से बदलाव की प्रक्रिया कायम हुई है। इन प्रयासों को बारीकी से देखने, समझने और उनकी प्रक्रियाओं को जानने की जरूरत है। ताकि बदलाव के इन प्रयासों से लोग सीख हासिल कर सकें और अपने गांव एवं पंचायत में उसे लागू कर सकें। पंचम के माध्यम से हम बदलाव की इसी बयार को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कॉलम में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न समूह संगठनों, समुदाय एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे बदलावकारी कार्यों पर केन्द्रित रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। यदि आपके आसपास भी ऐसे कोई कार्य संचालित हो रहे हो तो उसकी रिपोर्ट हमें जरूर भेजें।

कुपोषित बच्चों के संरक्षण की पहल

एनआरसी में भर्ती बच्चों को गोद लिया, समर्थन संस्था के समन्वयक की अनूठी पहल

राहूल निगम द्वारा

पन्ना। सामाजिक संस्था समर्थन एवं शासकीय विभागों के साझा प्रयासों से दस्तक अभियान के अंतर्गत जिले की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर के ग्राम अमहाई के दो एवं ग्राम पटी के एक गंभीर कुपोषित बच्चे को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती करवाया गया था। ये बच्चे रक्तअल्पता से भी पीड़ित थे। इसी दौरान पन्ना तहस. ीलदार दीपा चतुर्वेदी, पटवारी वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं समर्थन संस्था के राहूल निगम बच्चों से मिलने पोषण पुनर्वास केन्द्र पहुंचे। पटवारी वीरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा पटी से आए बच्चे का अपने संरक्षण में लिया गया, जबकि अम्हाई से आई दोनों बच्चियों को संरक्षक नहीं मिल पाया। ये बच्चियां कुपोषण के साथ ही रक्तअल्पता से ग्रसित थीं।

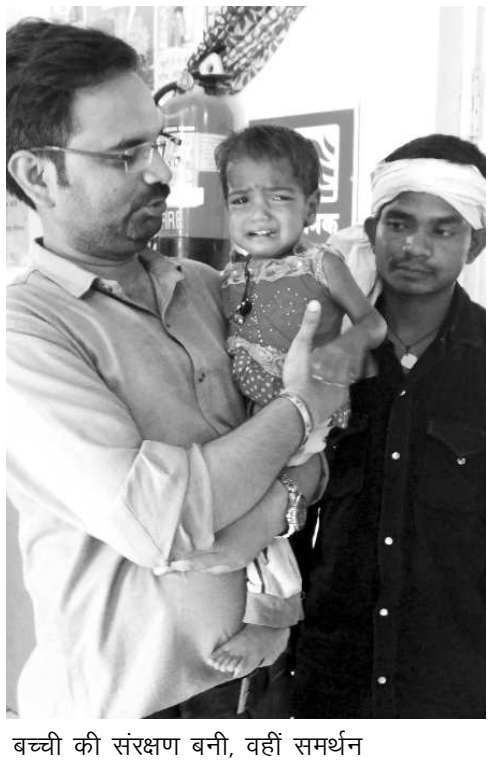

पोषण पुनर्वास केन्द्र पहुंचकर तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी कुपोषित बच्ची की संरक्षण बनी, वहीं समर्थन के समन्वयक राहुल निगम भी एक बच्ची के संरक्षक बनें। शासकीय और गैर शासकीय संस्थानों द्वारा कुपोषण को समाप्त या कम करने के लिए किये जा रहे इस प्रकार के प्रयास जिले को कुपोषण मुक्त करने में सकारात्मक दिशा प्रदान कर रहे है। इस अवसर पर ग्राम पटी के रोजगार सहायक कमलेश पाठक, समर्थन से सुरेन्द्र त्रिपाठी, सीपा संस्था के प्रदीप पिड़िहा, एनआरसी कर्मचारी रश्मि त्रिपाठी, आरती शर्मा, संध्या गुप्ता, कासिम खान उपस्थित थे। तहसीदार पन्ना ने एनआरसी पहुंचकर करीब एक घंटे का समय दिया एवं वहां उपस्थित कर्मचारियों से एनआरसी से जुड़ी सेवाओं एवं सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। एनआरसी में भर्ती बच्चों के संदर्भ में जानकारी लेते हुए उन्होंने सबसे कमजोर बच्ची को गोद लेने का निर्णय लिया।

सबकी सहभागिता से बनेगा पन्ना जिला कुपोषण मुक्त

कुपोषण जैसी समस्या सिर्फ सरकारी योजना मात्र से हल नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए सामुहिक एवं साम. ुदायिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। यदि इस तरह के प्रयास जनआन्दोलन के रूप में हो तो वह ज्यादा असरकारक हो सकते हैं। अतः सभी की सहभागिता के साथ कुपोषण मुक्ति के लिए एक व्यापक जनआन्दोलन की जरूरत महसूस होती है।

बदलाव का बैरोमीटर

भुलगांव के बदलाव की कहानी

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न संस्था व संगठनों द्वारा स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इन कामों के जरिये होने वाले बदलावों को बारीकी से देखना, समझना और उनका विश्लेषण करना जरूरी है, ताकि उनकी राह में आने वाली चुनौतियों और सफलताओं से सीख हासिल की जा सकें। इसी कड़ी में यहां प्रस्तुत है बड़वानी जिले के राजपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में सचेत परियोजना के अंतर्गत समर्थन द्वारा स्वशासन सशक्तिकरण के प्रयासों से ग्राम भुलगांव में आए बदलाव की कहानी।

वासुदेव अकोले द्वारा

भुलगांव (राजपुर)। ग्राम पंचायत सांगवीनीम में शामिल भुलगांव में सचेत परियोजना से पहले ग्रामवासियों को ग्रामसभा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ग्रामसभा की बैठक कब होती है? ग्रामसभा की शक्तियां क्या है? ग्रामसभा सदस्यों के क्या अधिकार है? आदि जानकारी नहीं थीं। साथ ही उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित किसी भी योजना की जानकारी नहीं थी। वार्ड पंचों को भी अधिकार और कार्यों की जानकारी नहीं होने से वे ग्राम पंचायत में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों की जानकारी भी यहां पंचों को नहीं थीं। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं में लोग अपनी कोई भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। सचेत परियोजना के अंतर्गत यहां पंच–सरपंच के प्रशिक्षण किए गए तथा ग्रामवासियों के साथ चर्चा की गई और उन्हें विभिन्न जानकारियां दी गई।

परियोजना के शुरु होने से ग्रामीणों को ग्रामसभा की जानकारी समर्थन संस्था के माध्यम से मिलने लगी व ग्राम संगठन व समूह में साथ ही फलिया बैठकों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। इससे लोगो को पंचायत के कामों की जानकारी प्राप्त हुई एवं विभिन्न योजनाओं से भी लोग अवगत् हुए। आज ग्रामवासियों को यह जानकारी है एक वर्ष में कम से कम चार बार ग्रामसभा होना जरूरी है। साथ ही ग्रामसभा की अध्यक्षता गांव के ऐसे महिला या पुरूष कर सकते हैं, जो ग्राम पंचायत में किसी पद पर नहीं है। इस गांव के लोग यह जानते हैं कि ग्राम पंचायत के काम एवं हिसाब–किताब का अनुमोदन ग्रामसभा द्वारा किया जाना जरूरी है। यहां के लोग ग्रामसभा में अपनी–अपनी समस्याएं रखते हैं और ठहराव–प्रस्ताव लिखवाते हैं। ग्रामसभा के अंत में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा ठहराव–प्रस्ताव पढ़कर सुनाए जाते हैं और उसके बाद लोग रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं।

परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच एवं सचिव का प्रशिक्षण समर्थन संस्था द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में पंच–सरपंचों के अधिकार और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। इससे पंचों को पता चला कि ग्राम पंचायत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और वे अपने वार्ड के प्रति जिम्मेदार है। यहां ग्राम पंचायत की बैठक में पंच अपने वार्ड की समस्याएं रखते हैं। अब यहां हर महीने ग्राम पंचायत की बैठक होती

(शेष पेज 4 पर)

चुनौतियों से जूझकर सुपोषित हुई गायत्री

पन्ना (राहूल निगम द्वारा)। अतिकुपोषित बच्चों के पोषण में श्पोषण पुनर्वास केन्द्रश् यानी एनआरसी की खास भूमिका है। किन्तु जब तक समुदाय का विश्वास इन केन्द्रों के प्रति नहीं होगाए ये केन्द्र ज्यादा उपयोगी नहीं होंगे।

पन्ना जिले के ग्राम बराछ में गायत्री नामक अतिकुपोषित बालिका के लिए जितनी चुनौति सुपोषण की थीए उतनी ही चुनौती उसके माताकृपिता में एनआरसी के प्रति विश्वास जगाने की थीं। इस गांव के लखन और अनीता की बेटी गायत्री की उम्र 2 वर्ष 8 माह थीं। अतिकुपोषण के कारण गांव में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता ने उन्हें बच्ची को एनआरसी में भर्ती करने की सलाह दी। पहले वे इस सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे यह मानते थे कि एनआरसी में सही दवाई नहीं होती है ओर वहां 14 दिन तक रहना पड़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें पन्ना के अस्पताल तक आने के लिए तैयार किया। यहां डॉ. प्रदीप गुप्ता को एनआरसी के बारे में उनकी धारणाओं के बारे में बताया गया। डॉण् प्रदीप गुप्ता ने उनसे बात की और एनआरसी में बच्चे की देखभाल के बारे में बताया। इससे बच्ची के पिता लखन को भरोसा हुआ कि यहां उनकी बच्ची स्वस्थ हो जाएगी।

एनआरसी में बच्ची के पोषण के स्तर पर में सुधार हुआ। किन्तु घर वापस आने के 2 माह बाद फिर से वह कुपोषित होने लगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें फिर से एनआरसी जाने की सलाह दी। लेकिन बच्ची के माताकृपिता इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस बीच समर्थन के कार्यकर्ताओं के संज्ञान में यह बात आई। कार्यकर्ता ने उनके घर जाकर बातचीत की। मांए दादी और चाचा को पोषण पुनर्वास केंद्र जाने से होने वाले लाभ की समझाइश दीए जिस पर उन्होंने कहा कि श्ठीक हैए इसके पिता रिश्तेदारी में गए हैंए कल वापस आएंगे तो उनसे कहेंगेए इस बात पर कार्यकर्ता ने अपना मोबाईल नम्बर देकर कहा गया कि उनसे कहियेगा की मुझसे बात करें। अगले ही दिन उनका फोन आया। फोन पर चर्चा करने के बाद वे बच्ची को पुनरू एनआरसी में भर्ती करवाने के लिए तैयार हो गए। आज यह बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। एनआरसी में बच्ची की देखभाल के साथ ही उसके माताकृपिता को यह भी समझाया गया कि घर पर बच्ची का खानपान और देखभाल कैसे की जानी चाहिए। समर्थन कार्यकर्ता एवं आगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भी इसका लगातार फॉलोअप किया गया। इस तरह कुपोषण की चुनौतियों से जूझते हुए आज यह बच्ची सुपोषित है।

शौचालय के उपयोग हेतु समुदाय की सजगता

आलीराजपुर (दिलीप काग द्वारा)। कई बार लोग शौचालय तो बना लेते हैं, किन्तु उनका उपयोग नहीं करते। स्कूलों में बने शौचालय के बारे में यह स्थिति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार शौचालय का गड्ढा ठीक से नहीं ढकने या शौचालय ठीक से निर्मित नहीं करने के कारण लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह स्थिति जिले के टेमला गांव में देखने को मिली। सोंडवा ब्लाक मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में 4 प्राथमिक विद्यालय व 1 माध्यमिक विद्यालय है। ग्राम टेमला के मानकरपूरा मोहल्ले के प्राथमिक स्कूल में शौचालय का निर्माण कराया गया था।, किन्तु उसके गड्ढे खुले होने के कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा था। इसके बारे में यहां के शिक्षकों से चर्चा की तो पता चला कि स्कूल का शौचालय बनकर तैयार हो गया, परन्तु इसमें गड्ढे खुले होने के कारण इसका उपयोग नही हो पा रहा है। जबकि गड्ढों को ढकने हेतु ढक्कन भी उपलब्ध है। समर्थन के कार्यकर्ताओं द्वारा इस बारे में मानकरपूरा के पंच से चर्चा की और उन्हें शौचालय के उपयोग की जरूरत तथा महत्व के बारे में बताया। साथ ही अन्य ग्रामवासियों से भी चर्चा की। उन्हें बताया गया कि यदि स्कूल का शौचालय उपयोग करने लायक नहीं है तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और यह सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि ग्रामवासियों की भी जिम्मेदारी है कि वे इस शौचालय को उपयोग करने लायक बनाए। इस चर्चा के बाद ग्रामवासियों ने शौचालय के गड्ढे में पड़े कचरे को साफ किया और ढक्कन लाकर उस पर लगाया। समुदाय की इस सहभागिता से यहां का शौचालय उपयोग करने लायक बन गया।

पंचायत में गड़बड़ियों को रोकने के लिए सजग है देख-परख सैनिक

वित्तीय अनियमिता की जांच के लिये देख–परख समिति ने जिला पंचायत सीईओ को लिखा पत्र

ज्ञानेन्द्र तिवारी द्वारा

पन्ना। ग्राम पंचायत विलखुरा में सक्रिय देख–परख सैनिक पोर्टल की जानकारी का अध्ययन कर ग्रामीणो एवं हितग्राहियो के साथ जानकारी साझा कर रहे है। उनके द्वारा ग्राम पंचायत के पंच–सरपंचों एवं ग्रामवासियों को भी इस बात की जानकारी दी जा रही है।

यहां देख–परख सैनिको के कई मुददे उठाएं, जैसे सीसी रोड सहनाली निर्माण, सार्वजनिक कूप सफाई कार्य, फसल सुरक्षा दीवार, जो बनी ही नही किन्तु खर्च दिखा दिया गया है। देख–परख सैनिकों ने यह भी पाया कि पीएम आवास की मजदूरी और खेल मैदान की राशि को ठाकुरबाबा की चाहरद. है तथा समय पर सभी पंचों को बैठक की सूचना दी जाती और एजेण्डा बताया जाता। पंच अपने वार्ड के जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास करते हैं।

ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों के प्रशिक्षण के बाद यहां पंचायत बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सरपंच एवं पंचों ने ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों के पुनर्गठन का फैसला लिया। उन्होंने समितियों का पुनर्गठन कर हर माह की 8 तारीख को समितियों की बैठक तय की। तीनों समितियों की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। समितियों की बैठक में पंचायत के कार्यों पर चर्चा की जाती है और फैसले लिए जाते हैं। समितियों के सक्रिय होने से ग्राम पंचायत के कार्यों में प्रगति आई है।

ीवारी में खर्च कर दिया गया, वृक्षारा. `पण कार्य में भी अनियमितता पाई गई। इन मुद्दों को लोगों ने कई बार ग्राम पंचायत के समक्ष रखा और ग्रामसभा में भी चर्चा की गई, किन्तु कोई समाधान नहीं हुआ। देख–परख सैनिकों ने ऑनलाईन पोर्टल पर दी गई जानकारी पर लोगों सें चर्चा की तो पाया कि पीएम आवास की मजदूरी कुछ हितग्राहियो को दे दी गई, लेकिन उन्हें पूरी नही मिली है तथा कुछ राशि ऐसे लोगों के खातों में जमा कर दी गई जो गांव में है ही नहीं। इनमें से तीन–चार ऐसे लोग हैं जो रोजगार के लिए दिल्ली चले गये हैं, उनके आने पर ही वे मजदूरी का पैसा निकालकर देंगे।

पंचायत दर्पण में भी यह देखने में आया की कुआ सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन काम नहीं कराया गया है। किसानों द्वारा फसल सुरक्षा दीवार बनाई गई, किन्तु के ऊपर गिटटी एवं सीमेंन्ट का लेप लगाकर उसे नई दिखाकर खर्च दिखा दिया गया।

देख–परख समिति ने जिला पंचायत सीईओ को लिखा पत्र –देख परख सैनिकों ने जिला मुख्यालय पन्ना पहुंचकर इस आशय का पत्र जिला पंचायत सीईओ को सौपा और अतिरिक्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी अशोक चतुर्वेदी से मिले। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को ऐसा नही करना चाहिये। आज कल सब कुछ पोर्टल पर है और सब इसको देख रहे हैं। हम इसकी जांच कराकर दोषियो पर कार्यवाही करेंगे। 17 जुलाई को जिला पंचायत ने पत्र जारी कर एईओ को विलखुरा की जांच की जिम्मेदारी सौपी है।

भुलगांव के..... पेज 3 से जारी

पहले गांव के ज्यादातर लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं थे। गर्भवती महिलाओं का प्रसव गांव में ही होता था। मगर सचेत परियोजना के काम से महिलाओं में जागरूकता आई और अब वे फोन पर 108 नंबर डायल कर जननी एक्सप्रेस गाड़ी बुलाकर प्रसव हेतु जाने लगी है। पहले लोग बच्चों को टीका लगवाने से डरते थे। अब उनका यह भ्रम दूर हो गया है और वे बच्चों का टीकाकरण करवाने लगे। महिलाएं पहले आयरन की गोली नहीं खाती थी। क्योकि उनको यह नहीं पता था कि गोली खाने से क्या फायदा हैं? उन्हें यह जानकारी दी गई कि इस गोली को खाना खाने के आधे घण्टे बाद खाना चाहिए तथा इस गोली से खून बढ़ता है। आंगनवाड़ी केन्द्र में मंगल दिवस मनाया जाता है व किशोरी बालिकाओं को भी आयरन की गोली दी जाती हैं ।

पहले लोग बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय घर व खेती के काम में लगा देते थे । मगर इस परियोजना के बाद गांवों में जागरूकता आई और कुछ युवा तैयार हो गये हैं, जो शिक्षा को लेकर अपने–अपने गांव में काम कर रहें हैं। वे बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलवाते हैं। साथ ही सचेत जीजियां गांव में भ्रमण कर स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती है। यहां स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कामों में सचेत परियोजना के अंतर्गत सक्रिय चेतना संस्था और एकलव्य संस्था की सक्रिय भूमिका है। गांव में पहली बार लोगों ने मिलकर ग्रामविकास योजना बनाई। इसके लिए तीन दिन की प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें ग्राम संगठन, समूह, युवा, बुजुर्गो, पंचों व सरपंच, सचिव को शामिल किया गया। ग्राम विकास योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत व आजीविका के मुददे निकाले। ग्रामसभा द्वारा उसका अनुमोदन किया गया।

खास बातें

- लोग ग्रामसभा में अपनी समस्याएं रखते हैं और ठहराव–प्रस्ताव लिखवाते हैं। ग्रामसभा के अंत में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा ठहराव–प्रस्ताव पढ़कर सुनाए जाते हैं और उसके बाद लोग रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं।
- ग्राम पंचायत की बैठक में पंच अपने वार्ड की समस्याएं रखते हैं। अब यहां हर महीने ग्राम पंचायत की बैठक होती है तथा समय पर सभी पंचों को बैठक की सूचना दी जाती।
- पंच अपने वार्ड के जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास कराते हैं।
- हर माह की 8 तारीख को स्थाई समितियों की बैठक तय की गई। तीनों समितियों की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है।
- सचेत परियोजना के काम करने से महिलाओं में जागरूकता आई और अब वे फोन पर 108 नंबर डायल कर जननी एक्सप्रेस गाड़ी बुलाकर प्रसव हेतु जाने लगी है।
- सचेत जीजियां गांव में भ्रमण कर स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल जान के लिए प्रेरित करती है।

गतिविधियां

युवाओं ने सीखी आनलाईन निगरानी

सोण्डवा में आयोजित प्रशिक्षण में 10 ग्राम पंचायतों के 25 युवा शामिल हुए

दिलीप काग द्वारा

आलीराजपुर। विभिन्न योजनाओं की जानकारी आनलाईन होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आई है और उनमें समुदाय की सहभागिता की संभावना बढ़ी है। किन्तु इसके लिए आनलाईन प्रक्रियाओं को सीखना जरूरी है। अत- 24 जून को जिले के सोंडवा ब्लाक मुख्यालय पर समर्थन संस्था द्वारा यूनिसेफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत आनलाईन प्रक्रिया का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सोडवा संकुल की 10 ग्राम पंचायतों में 25 युवक—युवतियां शामिल हुए। प्रशिक्षण की शुरूआत करते हुए स्त्रोत व्यक्ति श्री पंकज पाण्डे ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम सामाजिक सुरक्षा जैसी कई योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसके जरिये पंचायत में पारदर्शिता लाई जा सकती है। जानकारियां पंचायत और समुदाय के बीच पुल का कार्य करती है। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? कितना पैसा खर्च हुआ है? किन किन हितग्राहियों को लाभ मिला है? आदि जानकारियां हम पोर्टल के माध्यम से जान सकते हैं। प्रशिक्षण में समग्र आईडी के बारे में चर्चा करते हुए स्त्रोत

व्यक्ति पंकज पाण्डे ने समग्र आईडी देखने के तरीके, व्यक्ति् की आई डी से परिवार की समग्र आईडी जानने की प्रक्रिया बताई।

प्रशिक्षण में पेंशन पोर्टल की जानकारी भी दी गई। इसके अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से हितग्राही का नाम एवं पेंशन पासबुक का ब्यौरा देखने का तरीका भी बताया गया। इसके साथ ही एम पेंशन मित्र एप के बारे में बताया तथा इस एप को डाउनलोड करने का तरीका बताया गया। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शौचालय के लाभार्थियों की सूची देखने का अभ्यास भी करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहयों की सूची देखने तथा उन्हें मिली राशि की जानकारी भी एप देखने का अभ्यास करवाया गया। एक दिवसीय इस प्रशिक्षण में प्लान प्लस पोर्टल के बारे में बताया गया कि पंचायत में कहां से कितनी राशि प्राप्त हुई है, जैसे केंन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य स्त्रोतों से कितनी राशि प्राप्त हुई है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी आधिनियम के अंतर्गत लोग अपनी पंचायत में मनरेगा के कार्यो जैसे सीसी रोड़ एवं सुदूर ग्राम सड़क योजना, कपिलधारा कूप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसके अंतर्गत हितग्राहियों को जारी राशि की जानकारी का भी पता लगाया जा सकता है। साथ ही ग्राम पंचायत के मस्टररोल निकालने की जानकारी भी बताई गई। प्रशिक्षण में शामिल युवाओं ने यह बात समझी कि आनलाईन पोर्टल के माध्यम से वे योजनाओं का सही क्रियान्वयन और पात्र लोगों की योजनाओं तक पहुंच कायम कर सकते हैं।

ग्रामसभाएं आगे आई, क्या अब पंचायतें एवं सरकार निभायेंगी अपनी जिम्मेवारी

आलेख

राजकुमार मिश्रा

आज के बच्चे, आने वाले कल के लिये समाज एवं देश का भविष्य है, अगर देश की नीव कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। मां के गर्भ में आने के बाद से बच्चों के विकास की ओर ध्यान देने की जरूरत है। देश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, दहेजप्रथा, बाल विवाह, बालश्रम, बच्चों के साथ हिंसा, बच्चों के साथ होने वाले अन्य जघन्य अपराधों के आंकड़े ये साबित करते है कि हम अपने समाज एवं देश की नीव को कमजोर कर रहे है। संसद से लेकर विधानसभाओं एवं फिर स्थानीय सरकारों को इस दिशा में जो कदम उठाने चाहिये थे वे नही उठाये जा सके जिसके परिणामस्वरूप आज पूरे देश में बच्चों के विकास से जुड़े तथ्य कमजोर ही नही दयनीय है एवं विकसित राष्ट्र, बढ़ी जीडीपी आदि का दर्जा देने वालों के मुॅह में कड़ा तमाचा भी है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विषय काफी कमजोर है।

बच्चों के विकास से जुड़ी तमाम समस्याओं पर मध्यप्रदेश की मंडला, डिण्डोरी, धार, बड़वानी, अलीराजपुर एवं झाबुआ जिलों की कई ग्रामसभाओं द्वारा बाल हितैषी कार्ययोजना बनाने हेतु संकल्प पारित किया गया। इन बाल हितैषी कार्ययोजना बनाने में उन ग्रामों के बच्चों ने भी भागीदारी कर अपनी जरूरतों को कार्ययोजना में शामिल करने की मांग की। कई ग्रामसभाओं द्वारा बच्चों के विकास हेतु तैयार कार्ययोजनाओं को अनुमोदित किया गया। कई ग्रामों में बच्चों के समूहों के द्वारा अपने ग्राम में बच्चों के विकास से जुड़ी बाधाओं एवं उन्हें दूर करने संबंधी गति. विधियों का चयन कर कार्ययोजना बनाई एवं उसके अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायत के जिम्मेवारों को सौंपी गई।

सरकार की ओर से भी पंचायतों बाल हितैषी पंचायत बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है पंचायतों के लिये अवार्ड घोषित किया गया है उन पंचायतों को अवार्ड देने की पहल हो रही है जो बच्चों के हित संबंधी प्रयास करने में आंगे आ रही है। भारत के संविधान द्वारा भी पंचायतों को वे सभी अधिकार दिये गये है जिससे वे बच्चों सहित पंचायत की अधिकांश समस्याओं को दूर कर सकती है। संविधान के आर्टिकल 243 के तहत् पंचायतों को अपनी कार्ययोजना बनाना बाद्धकारी है कार्ययोजनायें बनती भी है लेकिन निर्माण कार्यों तक सीमित है। निर्माण कार्यों में भी बच्चों के सीधे हितों से जुड़े निर्माण कार्यों की ओर पंचायतों का ध्यान नही है। ग्रामसभाओं द्वारा अपनी ओर से बाल हित संबंधी समस्याओं को पहचान कर कार्ययोजना का अनुमोदन किया जा रहा है लेकिन ग्रामसभा के पास संशाधन नही है। ग्रामसभाओं द्वारा बनाई गई कार्ययोजनाओं पर काम करना पंचायतों की जिम्मेवारी है, अब देखना होगा कि क्या पंचायतें अपने विभिन्न संशाधनों में से कुछ हिस्सा अपनी पंचायत के बच्चों के सर्वांगींण विकास से जुड़ी गति. विधियों के लिये खर्च करती है ताकि कहा जा सके कि हमारी पंचायत बाल हितैषी पंचायत है। सरकारों को भी ध्यान देना होगा, पंचायतों तक संशाधन पहुॅचाने होंगे, प्राथमिकताओं को पहचान कर उन पंचायतों को मदद करनी होगी जहां ज्यादा समस्यायें है। जो भी हो बच्चे तो अपनी समस्याओं को बताने एवं बाल हितैषी कार्ययोजना में भागीदारी कर आशान्वित जरूर है कि शायद हम भी देश के नागरिक है हमारी पंचायत एवं सरकार हमारे भविष्य की तरफ भी ध्यान दे रही है, बच्चों की इन आशाओं एवं अपेक्षाओं का भविष्य क्या है यह अभी तक भविष्य के गर्त में ही है।

- देश की कुल आबादी की 40 फीसदी आबादी बच्चों की है।
- देश में प्रत्येक 4 में से 1 बच्चा स्कूल से बाहर है।
- देश में 14 वर्ष तक के 10. 13 मिलियन बच्चे बालश्रमिक है।
- देश में एक दिन में औसतम 150 बच्चे गुम हो रहे है।
- परीक्षा में फेल होने के डर से आत्महत्या, बच्चों की आत्महत्या का दूसरा बड़ा कारण है।
- देश में 19.8 मिलियन बच्चे कुपोषित है।
- देश में 5 वर्ष तक की आयु के 38 फीसदी बच्चे कम लंबाई के है।
- देश में 5 वर्ष तक की आयु के 35 फीसदी बच्चे कम बजन के है।
- मध्यप्रदेश में 29.2 फीसदी बच्चियों का विवाह बाल विवाह होता है।
- मध्यप्रदेश में 15—16 आयुवर्ग के 23.6 फीसदी बच्चे स्कूल से बाहर है जो देश में सबसे ज्यादा है।
- मध्यप्रदेश में 10 फीसदी बच्चियां 15 से 18 वर्ष के बीच मां बन जाती है।

पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने 552 करोड़ का प्रावधान

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिये इस वित्त वर्ष में 552 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। श्री पटेल ने बताया कि राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के पदाधिकारियों की वित्तीय अधिकार सीमा में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि 73 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1993 में पंचायत राज की स्थापना करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है।

श्री कमलेश्वर पटेल ने बताया कि राज्य वित्त आयोग मद से पंचायतों के पदाधिकारियों की वित्तीय अधिकार सीमा में वृद्धि की गई है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष 50 लाख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष 20 लाख, जिला पंचायत सदस्य 15 लाख, जनपद पंचायत अध्यक्ष 20 लाख और जनपद पंचायत सदस्य 5 लाख रूपये तक के कार्य का विकल्प अपनी मर्जी से दे सकेंगे।

पंचायतों को कार्य स्वीकृति के अधिकार

राज्य सरकार पंचायतों में मरम्मत/संधारण संबंधी कार्यों की स्वीकृति के अधिकार पंचायतों को हस्तांतरित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मंत्रि-परिषद की मंजूरी के बाद ग्राम पंचायतों को डेढ़ लाख, जनपद पंचायतों को ढाई लाख तथा जिला पंचायतों को पाँच लाख रुपये लागत तक के मरम्मत/संधारण के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार मिलेंगे।

राजपुर के युवाओं ने जानी ऑनलाईन पोर्टल प्रक्रिया

प्रवेश वर्मा एवं पुनीत सोनी द्वारा

ऑनलाइन पोर्टल अब स्वशासन और योजनाओं तक लोगों की पहुंच बनाने का सबसे महत्वपूर्ण औजार साबित हो रहा है। समर्थन द्वारा इस दिशा में युवाओं को सक्षम बनाकर स्वशासन में उनकी भागीदारी के साथ नए बदलाव को अंजाम दिया जा रहा है। युवाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया के प्रशिक्षण से अब उन्हें यह जानकारी मिलने लगी है कि पंचायत में किस योजना में कितनी राशि आई और कितनी खर्च हुई। शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंशन के हितग्राहियों की स्थिति भी अब गांव के युवा पोर्टल के जरिये पता लगा सकते है।

बड़वानी। पिछले दिनों राजपुर जनपद पंचायत के पलसूद एवं राजपुर क्लस्टर में समर्थन संस्था के तत्वाधान में एनएफआई प्रोजेक्ट के तहत सक्रिय युवा साथियों का चयन कर ऑनलाईन पोर्टल पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए। राजपुर में आयोजित प्रशिक्षण में क्लस्टर के 11 गांवों के 21 सक्रिय युवाओं ने भाग लिया, वहीं पलसूद मे आयोजित प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत जलखेड़ा, एकलबारा, सिदड़ी और मटली के 28 युवक–युवतियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण की शुरूआत में प्रशिक्षक के रूप में रितेश राठौड़ और पंकज पाण्डे ने गांव के विकास में युवाओं की भागीदारी पर चर्चा से की। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर लोगों को विकास योजनाओं से जोड़ने तथा योजनाओं से संबंधित जानकारी से लोगों को अवगत् कराने का प्रयास कर सकते हैं।

प्रशिक्षण में सबसे पहले समग्र पोर्टल के बारे में बताया गया कि अपने नाम के मात्र तीन अक्षरों से हम अपनी समग्र आईडी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अपनी समग्र आईडी निकालने के बाद उस समग्र आईडी के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों की समग्र आई निकाल सकते हैं। यदि समग्र आई डी में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है या लिंक किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया। युवा साथियों के द्वारा स्वयं के मोबाईल पर ये सभी चीजें प्रेक्टिकल करके देखी गई। समग्र पोर्टल के पश्चात समग्र पेंशन पोर्टल के बारे में बताया गया, जिसमें पेंशनर्स की सूची देखने, पासबुक देखने, पेंशन जारी करने की तारीख देखने का अभ्यास करवाया गया।

प्रशिक्षण में प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल के बारे में भी बताया गया कि किस प्रकार हम इस पोर्टल के माध्यम से अपनी या किसी भी ग्राम पंचायत की प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची देख सकते हैं, साथ ही उसकी रेजिस्ट्रेशन आईडी के माध्यम से उस व्यक्ति को जारी किश्तों की जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। इस पोर्टल के माध्यम से प्रतीक्षा सूची देखना भी सिखाया गया।

इसके साथ ही प्रशिक्षार्थियों को मोबाईल पर पंचायत दर्पण पोर्टल देखने का अभ्यास करवाया गया। यह भी बताया गया कि प्लान प्लस के माध्यम से हम अपने गांव में आगामी दिनों में होने वाले विकास कार्यो की जानक. ारी भी हसिल कर सकते हैं। मनरेगा पोर्टल के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि आज हमारी पंचायत में कौन–कौन से कार्य किए जा चुके हैं और कौन से कार्य जारी है तथा किन कामों में कितनी राशि खर्च हुई?

समग्र पोर्टल

समग्र पोर्टल के माध्यम से हम किसी भी सदस्य की आई डी जान सकते है। साईड पर जाकर हम जिला ब्लॉक व ग्राम पंचायत का चयन करेगें और अपने नाम के प्रांरभ के तीन अक्षर लिखेंगे, फिर एक केप्चर कोड आयेगा, उसे लिखेंगे तो समग्र आई डी आ जायेगी। सभी को मोबाईल के माध्यम से प्रेक्टिस करवा कर समग्र आई डी जानना सिखाया गया। इससे हम नाम, सदस्य आई डी, परिवार आई डी आदि देख सकते है। इसे डाउनलोड कर हम प्रिंट भी दे सकते है ।

समग्र पेंशन योजना

समग्र पेंशन योजना कितनी प्रकार की होती है, बताया और पेंशन योजना को विस्तृत से समझाया। इसके पात्र–अपात्र कौन होते है, उनकी सूची शर्ते मापदंड आदि हम देख सकते है। पेंशन योजनाओं से संबंधित पेम्पलेट भी वितरित किये गये जिससे पेंशन से जुड़ी सारी बाते लिखी हुई है। वृद्वावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन(कल्याणी), सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या अभिभावक आदि योजनाओं को समझाया गया। उपस्थित प्रतिभागियों ने भी मोबाईल में देखा कि योजनाओं को कैसे देख सकते है? कैसे आवेदन कर सकते है? साथ ही पेंशन की पात्रता स्थिति को भी देख सकते हैं। किसी भी हितग्राही के समग्र आईडी से उसकी पेंशन पासबुक भी देख सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना

पीएमएवाय की साईड पर जाकर हम यह देख सकते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में कितने लोगों को हर वर्ष इस योजना से जोड़ा गया है? आवास योजना की कितनी राशि प्राप्त हुई है कितनी किश्त बाकी है? योजना के पात्र–अपात्र लोगों की सूची भी इसके माध्यम से देखी जा सकती है। उपस्थित प्रतिभागियों ने बताया कि हमारे गांव में बहुत कम लोगों को आवास मिले और जिसका नाम आना चाहिये उसका नाम नही आया। उन्हें बताया गया कि अभी 2019–20 की सूची अपलोड नहीं हुई है।

मनरेगा

मनरेगा के बारे में बताते हुए इसके कार्यो जैसे सी.सी. रोड, ग्राम सड़क कपिलधारा कूप, तालाब गहरीकरण के बारे में कितनी लागत आई है और कितने पैसे अभी तक खर्च हुए है? मस्टररोल कैसे निकालते हैं। निर्माण कार्यों में कहां, कितना पैसा खर्चा हुआ इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है? उपस्थित प्रतिभागियों को बनाये गये चार्ट अनुसार स्टेप बाय स्टेप मनरेगा योजना की साईड की मोबाईल पर प्रेक्टिस करवाई गई ।

एम पेंशन मित्रा

मोबाईल के प्ले स्टोर में जाकर एम पेंशन मित्रा व पंच परमेश्वर (पंचायत दर्पण) एप्प डाउनलोड करवाया गया, जिससे वे कभी भी इसका उपयोग कर सकते है ।

पंचायत दर्पण एप्प के फायदे बताये गये जो इस प्रकार है–

- पंचायत में कौन–कौन से कार्य किये जा रहे हैं और कौन–कौन से कार्य हो चुके हैं, यह आसानी से देख सकते है ।
- पंचायत के खाते में किस कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है यह हम देख सकते है ।
- पंचायत द्वारा कितनी राशि किन कामों में खर्च की गई है? बिल व्हाउचर सहित हम देख सकते है। साथ ही मजदूरी का भुगतान कितना हुआ है ये भी देख सकते है ।
- ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के नाम व फोन नम्बर भी देख सकते है। साथ ही जनपद, जिला पंचायतों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
- किसी भी पंचायत के कार्यो की जानकारी हम इस एप के माध्यम से देख सकते हैं।

पोर्टल समझ पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजित

छतरपुर (ज्ञानेन्द्र तिवारी द्वारा) । प्रधानमंत्री आवास एवं मनरेगा पोर्टल को समझने के लिए पिछले दिनों यहां पंच—सरपंच एवं देख—परख सैनिकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के सहयोग से समर्थन संस्था द्वारा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में स्रोत व्यक्ति के रूप में समर्थन संस्था के ज्ञानेंद्र तिवारी व राहुल निगम शामिल हुए। उन्होंने पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी कार्य गांव में कराए जाते हैं उसकी जानकारी पोर्टल में फीड की जाती है, जिसे हम पोर्टल या ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। ग्राम पंचायत में कितना कार्य कराया गया है और किस

मद में कितना पैसा खर्च किया गया है यह सब हम घर बैठे मोबाईल पर देख सकते हैं। प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में स्रोत व्यक्ति् ज्ञानेन्द्र तिवारी ने बताया कि गांव के लोग पोर्टल को जाने। ग्राम पंचायत में जो कार्य किए जा रहे है, उनकी गुणवत्ता तभी संभव है जब गांव के लोगों को जानकारी होगी कि किए जा रहे कार्य के लिए कितनी राशि निर्धारित है और कितनी मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है? प्रशिक्षण में मनरेगा पोर्टल, प्रधानमंत्री आवास पोर्टल, समग्र स्वच्छता, एम पेंशन मित्र के बारे में जानकारी दी गई। संस्था के कार्यकर्ता श्याम श्रीवास्तव ने एम पेशन मित्र ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप के माध्यम से हम पेंशन हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किसकी पेंशन कब आई अथवा नही आई। इससे हम उन हितग्राहियों की मदद कर सकते हैं जो थोड़ी सी जानकारी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रशिक्षण में पंच जीवन अहिरवार, ब्रिज गोपाल, रज्जू विश्कर्मा, सरपंच राकेश लोधी, कार्यकर्ता राजेश तिवारी, मुकेश मिश्रा, अखिलेश वर्मा और पन्ना छतरपुर एवं दमोह के देख परख सैनिक उपस्थित रहे।

पंचायत समाचार

छत्तीसगढ़ को ई-पंचायत पुरस्कार

रायपुर। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना और संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय ने ई-पंचायत पुरस्कार के लिए किया है। आईसीटी के इस्तेमाल में प्रदेश को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है।।

उल्लेखनीय है प्रदेश में ग्राम पंचायतों की नेटवर्किंग, योजनाओं को लागू करने और उनकी मॉनिटरिंग में कम्प्यूटर तथा सूचना और संचार तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। पंचायत विभाग के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के लिए इन तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय ने आईसीटी के द्वारा ग्रामीण अंचलों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के छत्तीसगढ़ शासन की कोशिशों की भरपूर सराहना की है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि छत्तीसगढ़ इस कार्य को आगे बढ़ाएगा और इस पुरस्कार से विभागीय अमला पंचायतीराज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए ई-गवर्नेन्स की गतिविधियों को और अधिक जोर-शोर से संचालित करने को प्रेरित होगा।

प्रदेश में ई-पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं और कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए 11 कोर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को एक यूनिक कोड प्रदान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश के सभी 10 हजार 978 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास योजना की एंट्री प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में की गई है। इसी तरह प्रियासॉफ्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वर्ष 2017-18 का कैशबुक बंद करने का काम भी निर्धारित समयावधि में विभाग ने सफलतापूर्वक किया है। एम-एक्शन सॉफ्टवेयर की मदद से 14वें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में कराए गए कार्यों की जियोटैगिंग की गई है। इसके लिए 90 फीसदी पंचायतों को ऑनबोर्ड कर 48 हजार 427 कार्यों का जियोटैगिंग फोटो अपलोड किया गया है।

पंचायत संचालनालय द्वारा जारी सूचनाओं और निर्देशों को पंचायतें देख सकें, इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है। वेबसाइट के जरिए गांव का कोई भी आदमी अपनी पंचायत द्वारा किए गए कार्यों को देख सकता है।

आलेझरी का आकर्षक पंचायत भवन बना मिसाल

बालाघाट। जिले के बिरसा विकासखंड की ग्राम पंचायत देवगांव का पंचायत भवन अपने आकर्षक स्वरूप एवं बनावट के लिए प्रसिद्ध है। अब इस कड़ी में वारासिवनी विकासखंड की ग्राम पंचायत आलेझरी का भवन भी शामिल हो गया है। देवगांव का पंचायत भवन लगभग 8 वर्ष पहले बना है। लेकिन आलेझरी का ग्राम पंचायत भवन कुछ दिनों पूर्व ही बनकर तैयार हुआ है।

ग्राम पंचायत आलेझरी का पुराना ग्राम पंचायत भवन जर्जर हो गया था। इसके स्थान पर 14 वें वित्त आयोग एवं मनरेगा की राशि मिलाकर कुल 14 लाख 58 हजार रुपये की लागत से ग्राम पंचायत का नया भवन बनाया गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच श्री जितेन्द्रसिंह ग्राम पंचायत भवन को आलीशान एवं आकर्षक बनाना चाहते थे। जिससे यह पंचायत भवन अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक मिशाल बन सके। सरपंच श्री जितेन्द्रसिंह के प्रयासों से आलेझरी में 6 माह की समयावधि में नया पंचायत भवन तैयार हो गया है। ग्राम पंचायत के नये भवन में सरपंच, सचिव के लिए अलग-अलग कक्ष बनाये गये है और बड़ा सा हाल भी बनाया गया है। पंचायत भवन में शौचालय भी बहुत अच्छा बनाया गया है। पंचायत भवन में टाईल्स भी अच्छी गुणवत्ता की लगाई गई है।

ग्राम आलेझरी के पंचायत भवन को देखने के बाद कोई भी सरपंच चाहेगा कि उसके पंचायत में भी ऐसा ही भवन हो। अपनी गुणवत्ता एवं आकर्षक स्वरूप के लिए आलेझरी का नया ग्राम पंचायत भवन अन्य पंचायतों के लिए एक मिशाल बन गया है। इस भवन को पहली बार देखने पर लगता है कि यह किसी बड़े आदमी का निजी भवन होगा। लेकिन बाद में विश्वास करना ही पड़ता है कि एक सरकारी भवन भी ऐसा आलीशान हो सकता है।

यदि आवेदन का निराकरण जनपद या जिला स्तर से होना होता है तो ग्राम स्तरीय दल ही उसका निराकरण करके आवेदक को लाभान्वित कर देता है।

इस तरह की बैठकें आयोजित होने से संबंधित विभाग के अधिकारी—कर्मचारियों का परिचय होने के साथ—साथ विभागीय कार्य भी तेज गति से होने लगे हैं। पिछले दिनों इस योजना का शुभारंभ जिला मुख्यालय से किया गया था। इसके उपरांत इसकी प्रथम कार्यशाला पन्ना जनपद के कर्मचारियों—अधिकारियों के बीच की आयोजित की गई थी, जिसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। पन्ना जनपद की ग्राम पंचायतों में अभ्युदय दल की बैठकें होना प्रारंभ हो चुकी है। इन बैठकों में ग्रामीणजन पहुंचने लगे हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण भी ग्राम पंचायत स्तर से होने लगा है। अब जिले के प्रत्येक जनपद क्षेत्र में जनपद स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय अभ्युदय दल का गठन कर दिया गया है। 30 जुलाई तक सभी जनपदों में अभ्युदय योजना की कार्यशालाएं आयोजित होने के बाद यह योजना पन्ना जिले के सभी गांवों में क्रियाशील हो गई है। जिससे जिले के सभी ग्रामीणों को अपने गांव में ही अपनी समस्याओं, विभिन्न योजनाओं के लाभ संबंधी आवेदनों के निराकरण अवसर मिलने लगा है।

जिला कलेक्टर द्वारा 12 जुलाई को जारी आदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर अभ्युदय दल का गठन किए जाने के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागों की जिम्मेदारी तय की

एक छत के.... पेज एक से जारी

गई, जो इस प्रकार है —

◆ **स्वास्थ्य विभाग** = मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, प्रजनन दर में कमी लाना।

◆ **महिला एवं बाल विकास विभाग** = प्रोजेक्ट संजीवनी, सुपोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडो अभियान, वन स्टाप सेंटर सखी।

◆ **उद्यानिकी विभाग** = उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देना, स्टीविया की खेती, मुनगा की खेती।

◆ **उद्योग विभाग** = मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।

◆ **जिला शिक्षा केन्द्र** = निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश वितरण, निःशुल्क सायकिल वितरण, मध्यान्ह भोजन, शैक्षिक गुणवत्ता, शिक्षकों एवं छात्रों की शत—प्रतिशत उपस्थिति, स्कूल कैम्पस में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग—अलग शौचालय, शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम।

◆ **खाद्य विभाग**= प्रधानमंत्री विस्तारित उज्जवला योजना, पीडीएस दुकान का समय पर खुलना एवं वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत आधार सीडिंग।

◆ **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग** = प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम पंचायत /ग्राम क्षेत्र में सड़क, पानी सफाई आदि की व्यवस्था।

◆ **पंचायत एवं सामाजिक न्याय** = सामाजिक सहायता पेंशन योजनाएं जैसे वृद्धावस्था, विधवा, निःशक्त, एवं सामाजिक सुरक्षा आदि, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, दिव्यांगजनों को सहायता।

◆ **किसान कल्याण एवं कृषि विकास** = सूरजधारा योजना, अन्नपूर्णा योजना, बीजग्राम योजना, सिंचाई क्षमताओं का विकास/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई क्षमताओं का विकास/ नलकूप खनन, कृषि यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री बीमा योजना, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड।

◆ **एनआरएलएम** = मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण, स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज, रोजगार मेला, कृषि आधारित गतिविधि, पशुपालन, आरएच एव सीआईएफ, गैरकृषि आधारित गतिविधियां।

◆ **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग** = ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित नलजल योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप, स्कूल हैण्डपंप।

◆ **म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड** = इंदिरा गृह ज्योति योजना।

◆ **आदिम जाति कल्याण** = मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक युवा उद्यमी योजना, छात्रावास/आश्रमों में खाद्यान्न् बिजली, पानी की व्यवस्था।

◆ **बैंक** = प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, बैंक खाते से शतप्रतिशत आधार सीडिंग।

◆ **राजस्व विभाग** = नया सवेरा योजना।

◆ **सहकारिता विभाग** = किसान क्रेडिट कार्य, फसल ऋण समायोजन

आदेश में कहा गया है कि अभ्युदल दल का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त योजनाओं के साथ—साथ अन्य सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में समन्वयक के साथ कार्य करेंगे तथा शिकायतों का निराकरण करेंगे। साथ ही सामुदायिक योजनाओं का भी निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक 15 दिवस में अभ्युदल दल ग्राम पंचायत मुख्यालय/ भवन में बैठक आयोजित होगी। बैठक में पंचायत स्तर की समस्याओं/ शिकायतों आदि का समाधान किया जायेगा अथवा उन्हें पंजीवद्ध करते हुए ब्लाक अभ्युदय दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

पंचम्

36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

सदस्य का नाम _____

वर्तमान पद _____

ग्राम पंचायत का नाम _____

ग्राम _____

पोस्ट _____

तहसील _____

जिला _____

राज्य _____

सदस्यता राशि का ब्यौरा

◆वार्षिक-100 रु. ◆द्विवार्षिक-200 रु. ◆त्रिवार्षिक-300 रु.
◆पंचवार्षिय-400 रु. ◆ आजीवन-5000 रु.

कृपया हमारी ग्राम पंचायत/पुस्तकालय/मुझे पंचायतों एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख समाचार पत्र पंचम् की सदस्यता प्रदान कर नियमित रूप से उक्त पते पर भेजने की कृपा करें। सदस्यता राशि नगद/मनी आर्डर/चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि रुपये (अंकों में) .....
(शब्दो में).....
..... दिनांक ..... संलग्न है।
पावती भेजने की व्यवस्था करें।

हस्ताक्षर

स्थान: .....

नाम एवं पता

दिनांक .....

आपकी पंचायत से संबंधित लेख, रिपोर्ट और खबरें आमंत्रित

'पंचम' पंचायती राज जन-प्रतिनिधियों का अपना समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र में मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज से जुड़ी समस्याएं, सुझाव, प्रमुख योजनाओं एवं ग्राम विकास से संबंधित प्रमुख जानकारियों के साथ पंचायती राज के सशक्तिकरण करने कि दिशा में जन-प्रतिनिधियों की भूमिका, जिम्मेदारी, चुनौतियां, उनके द्वारा किये गये प्रयासो को प्रमुखता से प्रकाशित की जाती है ताकि सामुदायिक विकास कार्यो में सहभागी निर्णय प्रक्रिया के द्वारा शासन-प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। आप भी अपने कार्य क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने/लिखने के लिये प्रेरित कर सकते हैं अथवा उनसे बातचीत के आधार पर आप स्वंय लिख कर माह की 30 तारीख तक फोटोग्राफ के साथ हमें अवश्य भेज दें ताकि समुचित स्थान मिल सके। **आप अपनी रिपोर्ट वाट्सअप पर भी भेज सकते हैं। नं. 8889884676**

आपके सवाल व समाधान

पिछले 16 सालों से यह अनुभाव हुआ है कि प्रदेश की पंचायत और प्रतिनिधियों से जुड़ी कई कठनाईयों होती हैं जिसका समाधान स्थानीय स्तर पर नही हो पा रहा है अपने अधिकारों की एवं शासकीय आदेश निर्देश की शानकारी सुलभ नही हो पाती है। जिसके कारण आम आदमी से लेकर पंचायत तक दर-दर भटकना पड़ता है। इस समस्या का हल खोजने के पंचम आपके सवाल व समाधान के नाम से एक साझा मंच आपके सामने प्रस्तुत रहा है। जिसमें आप अपने सवाल हमें निर्धारित प्रारूप में भेज सकते हैं। जिसके जवाब हम संबंधित विभाग के अधिकारी से पूछेंगे और उनके जवाबों को अगले अंको में प्रकाशित करते रहेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आगे बढ़कर सुशासन को प्रभावी बनाने के इस साझे मंच का उपयोग करेगे।

सवाल व समाधान

नाम.....

..... ग्राम पंचायत का नाम .....

जनपद पंचायत ..... जिला .....

अपना सवाल इस पते पर भेजें-
36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

सरपंच शिवप्रसाद ने कायम की बदलाव की मिसाल

ग्राम पंचायत पंडुआ में हुए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के विशेष प्रयास

प्रस्तुति : डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर

जबलपुर। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में ग्राम पंचायत पंडुआ मील का पत्थर साबित होती है। यह पंचायत खुले में शौच से मुक्त है। गांव में नशाबंदी है और अपराधों पर नियंत्रण है। खास बात यह है कि इस ग्राम पंचायत के ग्राम जमुनिया को तीन बार विवादविहीन गांव के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है। पंचायत को तरक्की के इस मुकाम तक पहुंचाने में यहां के सरपंच श्री शिवप्रसाद की खास भूमिका रही है। शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त शिवकुमार ने अपने गांव के लिए एक सपना देखा और जुट गए उस सपने को साकार करने के लिए। सरपंच शिवकुमार कहते हैं कि ''गांव में कोई विवाद हो जाता है तो हमारी ग्राम पंचायत के लोग सीधे कोर्ट-कचहरी नहीं जाते। ऐसे विवादों का निपटारा हमारी ग्राम पंचायत में बैठकर आपसी सहमति से कर लेते हैं। हम लोगों ने अपनी ग्राम पंचायत में लगभग 168 मामलों को अपने स्तर पर ही सुलझा लिया है।'' वह बताते हैं कि ''महिलाओं के सशक्तीकरण एवं सुरक्षा से संबंधित कानूनों, सूचना का अधिकार कानून की जानकारी हमारी ग्राम पंचायत में विशेष बैठक, कार्यक्रम आयोजित करके ग्रामीणों को दी जाती है।'' महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायत में ''सशक्त महिला, निर्भय महिला'' अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं सहित गांव में ही रोजगार, भाईचारा, स्वच्छता के कई कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही स्वच्छता, महिलाओं के सशक्तीकरण के विषय पर ग्राम पंचायत में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। आजीविका मिशन अन्तर्गत इस ग्राम पंचायत में 12 स्व-सहायता समूह चल रहे हैं। इन समूहों की बैठकों में पंचायत के प्रतिनिधि उपस्थित उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं के निराकरण में सहयोग देते हैं। समूह द्वारा बनाई गई सामग्री के विपणन के प्रयास किये जाते हैं। दोना-पत्तल बनाने वाले समूहों को कच्चा माल, मशीन, विपणन कार्य के लिए निजी व्यवसायियों एवं लघु उद्योगों द्वारा मदद की जाती है। समूह की महिला दीदियों को ग्राम पंचायत से बाहर अन्य स्थानों पर चल रहे अच्छे समूहों से मिलने के लिए भेजा जाता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय भूमि एवं तालाब स्व-सहायता समूहों को आवंटित किए गए हैं, जिससे समूह सदस्यों को अतिरिक्त आमदनी हो रही है।

इसके साथ ही ग्राम पंचायत के युवक-युवतियों को कम्प्यूटर में कुशल बनाने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद से प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। महिलाओं एवं युवक-युवतियों को आजीविका से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पॉलीटेक्नीक कॉलेज में मोटर बाइंडिंग, लाईट फिटिगं, सिलाई, कढ़ाई जैसे कामों का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व-रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उज्जवला योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में 278 परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही नशामुक्ति के लिए ग्राम पंचायत में विभिन्न गतिविधियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाये जाते हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। भवन अनुज्ञा शुल्क एवं अन्य व्यक्ति हित हेतु ग्राम पंचायत द्वारा ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' जारी किये जाते हैं। इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को बहुत ही कम फीस लेकर जारी किया जाता है। जबलपुर जिले की प्रथम पांच खुले में शौच मुक्त (ओपन डेफीकेशन फ्री - ओ.डी.एफ.) ग्राम पंचायतों में से एक है ग्राम पंचायत पडुवा। व्यक्तिगत शौचालय से गंदे पानी की निकासी एवं घरों से कचरा साफ करने की सुविधा ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कर लेकर दी जा रही है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत क्षेत्र में पूर्व में भय, अशांति, अत्याचार, शोषण, नशाखोरी, गंदगी, शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा जैसी समस्याओं को गांव के लोगों की सहभागिता और शासकीय विभागों की मदद से दूर करने की कोशिश की गई। प्रत्यैक पात्र हितग्राही को नियमानुसार शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है। इन सभी कार्यो में हमें अपनी पंचायत के वार्ड पंचों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और गांव के अन्य संगठनों का सहयोग मिला।

इन सभी प्रयासों का परिणाम ग्राम पंचायत क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। ग्रामीणजनों का जहां एक ओर आर्थिक विकास हो रहा है वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय तक लोगों की पहुंच बढ़ रही है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुए कार्यो की गूंज जनपद, जिला और राज्य स्तर पर भी सुनाई देती है।

स्वामी एवं प्रकाशक पंचायती राज महासंघ के लिए सचिव पंचायती राज महासंघ द्वारा प्रकाशित एवं केपीटल प्रिंटर्स ए-1, प्लाट नं 7 प्रेस काम्पलेक्स एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित एवं 36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- लता गुडडू वानखेड़े, कार्यकारी संपादक-राजेन्द्र बंधु, संपादकीय सलाहकार मंडल, ब्रजकिशोर डण्डोतिया, चतुरेश सेन, श्याम श्रीवास्तव, आशुतोष रजक। मुद्रित सामग्री के चयन के लिए पी.आर.बी एक्ट के तहत जिम्मेवार, न्यायिक क्षेत्र-भोपाल। सहयोग- समर्थन, भोपाल (म.प्र.) फोन नं. 0755-2467625, 4993147